



महत्त्वपूर्ण सम्पर्क

राज्य कर/वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

जी.एस.टी. हेल्पडेस्क 0522-2721944 / 3312600

हेल्पलाइन 0522-3312600 | कंट्रोल रूम: 0522-2721153

E-mail id: info.up.gst@gmail.com

जी.एस.टी. काउंसिल सचिवालय

Website: www.gstcouncil.gov.in, E-mail id: gstc.secretariat@gov.in,
Phone No.: 011-23762656

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग (CBEC)

जी.एस.टी. मित्र हेल्पडेस्क: 1800-1200-232,

E-mail id : cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in

GSTN

Website: www.gstn.gov.in, E-mail id: helpdesk@gst.gov.in,
Phone No: 0124-4688999, 0120-4888999

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश



वेबसाइट

www.comtax.up.nic.in



ई-मेल

info.up.gst@gmail.com



[@comtaxupgst](https://www.facebook.com/comtaxupgst)



@ComtaxU



हेल्प लाइन

0522-3312600, 2721944



कंट्रोल रूम

0522-2721153

1 राष्ट्र
जी.एस.टी.
कर
बाजार



दैनिक उपयोग की प्रमुख वस्तुओं एवं सेवाओं पर
जी.एस.टी. की दर



वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

दैनिक उपयोग की प्रमुख वस्तुओं एवं सेवाओं पर जी.एस.टी. की दर



प्रेरणा :

मुकेश कुमार भेश्राम
कमिश्नर वाणिज्यकर, उ०प्र०

मार्ग दर्शन :

विवेक कुमार
एडीशनल कमिश्नर (जी.एस.टी.) वाणिज्यकर, उ०प्र०

संकलन :

संजय कुमार पाठक
ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी.एस.टी.) वाणिज्यकर, उ०प्र०

टंकण :

मयंक शुक्ला
कनिष्ठ सहायक

विषय सूची

क्र.सं.	वस्तुयें/सेवायें	पृष्ठ संख्या
1.	खाने-पीने की वस्तुएं	3
2.	दैनिक प्रयोग की अन्य वस्तुएं	7
3.	पूजा सामग्री	9
4.	कपड़ा/परिधान/फुटवियर	10
5.	भवन निर्माण	14
6.	सौन्दर्य प्रसाधन	15
7.	खेल/खिलौने/फिटनेस से सम्बन्धित वस्तुएं	17
8.	फर्नीचर	18
9.	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	18
10.	चिकित्सा/दवाइयाँ	20
11.	स्टेशनरी	21
12.	कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित वस्तुयें	22
13.	खान-पान से सम्बन्धित सेवायें (रेस्टोरेण्ट)	24
14.	होटल से सम्बन्धित सेवायें	25
15.	सौन्दर्य/फिटनेस से सम्बन्धित सेवायें	26
16.	शिक्षा से सम्बन्धित सेवायें	26
17.	कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित सेवायें	27
18.	चिकित्सा से सम्बन्धित सेवायें	27
19.	स्वच्छता से सम्बन्धित सेवायें	28
20.	मनोरंजन सेवायें	28
21.	यातायात से सम्बन्धित सेवायें	29
22.	विविध सेवायें	29
23.	वस्तुओं/सेवाओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित चैप्टर	30

जी0एस0टी0 एक नयी कर प्रणाली है, इस कर प्रणाली में वस्तुओं का वर्गीकरण HSN (Harmonized System Nomenclature) पर आधारित है, वस्तुओं पर जी0एस0टी0 की दरों का वर्गीकरण भी HSN पर ही आधारित है, इसी प्रकार सेवाओं का वर्गीकरण SAC (Services Accounting Code) पर आधारित है। उत्तर प्रदेश राज्य में छोटे व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं की संख्या काफी अधिक है, जो अभी तक इस प्रणाली से परिचित नहीं रहे हैं। जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त वस्तुओं तथा सेवाओं के HSN/SAC कोड एवं कर की दरों के सम्बन्ध में विभाग की हेल्पडेस्क, विभाग द्वारा जी0एस0टी0 जागरूकता के सम्बन्ध में आयोजित सेमिनार्स एवं अन्य विभिन्न स्रोतों से अनेक प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, जिसे दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दैनिक उपभोग की प्रमुख वस्तुओं एवं सेवाओं के HSN/SAC कोड एवं जी0एस0टी0 की दर का संकलन वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तिका में किया गया है।

नोट- इस पुस्तिका में अंकित जी.एस.टी. की दर में एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. की दर समाहित है।

Disclaimer

जी0एस0टी0 रिजिम में वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण और कर की दरों के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर परिचित कराने के उद्देश्य से यह पुस्तिका संकलित की गयी है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के HSN/SAC कोड और कर की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा एस0जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्तियाँ तथा भारत सरकार द्वारा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्तियाँ ही विधिक रूप से मान्य होंगी।



वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0

विभिन्न वस्तुओं पर जी0एस0टी0 की दरें



खाने-पीने की वस्तुएं

क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी0एस0टी0 की दर
1.	चैप्टर 2	जानवर एवं कुक्कुट का ताजा अथवा शीतित (Chilled) मांस एवं खाने योग्य अवशेष (जो प्रिजर्व्ड एवं यूनिट कंटेनर में पैक न हो)	NIL
2.	0301	जिंदा मछली	NIL
3.	0304	मछली का मांस (Fish fillets and other fish meat) Fresh अथवा Chilled अवस्था में	NIL
4.	0306	प्रॉन्स (ड्रींगिंग) (खोल अथवा खोल के बिना) जिंदा, ताजा अथवा शीतित (Chilled) अवस्था में	NIL
5.	0307	सीप / घोंघा आदि (खोल अथवा खोल के बिना) जिंदा, ताजा अथवा शीतित (Chilled) अवस्था में	NIL
6.	चैप्टर 4	फ्रेश मिल्क, पाश्चराइज्ड मिल्क, क्रीम (जिसमें शुगर मिश्रित नहीं है)	NIL
7.	0403	दही, छाछ, लरसी	NIL
8.	0406	छेना और पनीर (जो यूनिट कन्टेनर में पैक न हो तथा जिस पर किसी रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित न हो)	NIL
9.	0407	अण्डा छिलका सहित (फ्रेश, प्रिजर्व्ड अथवा उबला हुआ)	NIL

10.	0409	प्राकृतिक शहद (Natural Honey) (जो यूनिट कन्टेनर में पैक न हो तथा जिस पर किसी रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित न हो)	NIL
11.	चैप्टर 7	सभी प्रकार की ताजी अथवा शीतित (Chilled) सब्जियाँ, खाने योग्य कंद एवं जड़ (जो फ्रोजेन अथवा प्रिजर्व्ड अवस्था में नहीं हैं।)	NIL
12.	0713	सभी प्रकार की दालें (साबूत अथवा ब्रोकेन) (जो यूनिट कन्टेनर में नहीं हैं तथा जिन पर रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित नहीं है)	NIL
13.	चैप्टर 8	सभी प्रकार के खाने योग्य ताजे फल एवं नट्स (जो फ्रोजेन अथवा प्रिजर्व्ड अवस्था में नहीं हैं।)	NIL
14.	0801	नारियल [ताजे अथवा सूखे (खोपरा); खोल सहित अथवा खोल रहित अवस्था में]	NIL
15.	चैप्टर 10	गेंहूँ, जौ, जई, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी एवं अन्य अनाज (जो यूनिट कन्टेनर में नहीं हैं तथा जिन पर रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित नहीं है)	NIL
16.	चैप्टर 11	गेंहूँ का आटा, मक्के का आटा एवं अन्य अनाज का आटा, बेसन (जो यूनिट कन्टेनर में नहीं हैं तथा जिन पर रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित नहीं है)	NIL
16.	1103	अनाज की दलिया (जो यूनिट कन्टेनर में नहीं हैं तथा जिन पर रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित नहीं है)	NIL
18.	1701 / 1702	गन्ने एवं खजूर का गुड़	NIL
19.	1904	मुरमुरा, थिरुड़ा, मुकी	NIL
20.	1905	ब्रेड (पिज्जा ब्रेड को छोड़कर), पापड़	NIL
21.	2201	नॉन एल्कोहलिक ताड़ी / नीरा	NIL
22.	2202	कच्चे नारियल का पानी (जो यूनिट कन्टेनर में पैक न हो तथा जिस पर किसी रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित न हो)	NIL
23.	2501	नमक (जिसमें आयोडाइज्ड नमक, सेंधा नमक, काला नमक शामिल हैं)	NIL
24.	चैप्टर 03 (0303 / 0304 / 0305)	मछली, मछली का मांस (Frozen, dried, salted, अथवा smoked अवस्था में) जो मानव उपभोग हेतु उपयुक्त है।	5%

25.	0306	प्रॉन्स (झींगा) (खोल सहित अथवा खोल रहित) Frozen, dried, salted अथवा smoked अवस्था में	5%
26.	0307	सीप / घोंघा (Frozen, dried, salted अथवा smoked अवस्था में) जो मानव उपभोग हेतु उपयुक्त है।	5%
27.	0402	मिल्क और क्रीम, सान्द्र (Concentrated) अथवा जिसमें शुगर या अन्य मोटा द्रव्य मिश्रित है, स्किम्ड मिल्क पाउडर, बच्चों के लिए मिल्क पाउडर	5%
28.	0406	छेना और पनीर (जो यूनिट कन्टेनर में पैक हो तथा जिस पर किसी रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित हो)	5%
29.	0409	प्राकृतिक शहद (Natural Honey) (जो यूनिट कन्टेनर में पैक हो तथा जिस पर किसी रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित हो)	5%
30.	चैप्टर 07	फ्रोजेन, प्रिजर्व्ड सब्जियाँ (0710 / 0711)	5%
31.	0713	सभी प्रकार की दालें (साबूत अथवा ब्रोकेन) (जो यूनिट कन्टेनर में पैक हैं तथा जिन पर रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित है)	5%
32.	चैप्टर 8 (0801 / 0802 / 0806 / 0811 / 0812 / 0814)	काजू, सूखे फल, सूखा सिंघाड़ा, सूखा मखाना, सूखा अंगूर, किशमिश, सुपाड़ी, फ्रोजेन, प्रिजर्व्ड फल	5%
33.	चैप्टर 9	मसाले	5%
34.	चैप्टर 9	काँफी (0901) चाय (0902)	5%
35.	चैप्टर 10	सभी प्रकार के अनाज (जो यूनिट कन्टेनर में हैं तथा जिन पर रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित है)	5%
36.	1006	चावल (जो यूनिट कन्टेनर में हैं तथा जिन पर रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित है)	5%
37.	चैप्टर 11	आटा, मैदा, सूजी, बेसन, दलिया (जो यूनिट कन्टेनर में हैं तथा जिन पर रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित है)	5%
38.	1201	सोयाबीन साबुत अथवा ब्रोकेन (बीज की श्रेणी से भिन्न)	5%
39.	1202	मूँगफली साबुत अथवा ब्रोकेन (बीज की श्रेणी से भिन्न)	5%
40.	1203	नारियल गिरी	5%
41.	1207	तिलहन साबुत अथवा ब्रोकेन (बीज की श्रेणी से भिन्न)	5%

42.	1211	इसबगोल की मूसी	5%
43.	चैप्टर 15	खाद्य तेल (जो केमिकली मॉडीफाइड न हों)	5%
44.	1701	चीनी, खांडसारी	5%
45.	1902	सेवई	5%
46.	1905	पिज्जा ब्रेड, रस्क, टोस्टेड ब्रेड	5%
47.	2106	मिठाई	5%
48.	चैप्टर 02 (0202 / 0203 / 0207 / 0208)	भेंड, बकरी, सुअर एवं अन्य जानवर तथा कुक्कुट का मांस एवं खाने योग्य अवशेष, (जो फ़ोजेन अवस्था में हैं तथा यूनिट कन्टेनर में पैक किया	12%
49.	0406	चीज़	12%
50.	0405	बटर एवं अन्य वसा (घी, बटर ऑयल आदि)	12%
51.	0802	झाई नट्स (झाई फ्रूट्स जैसे- बादाम, अखरोट, पिस्ता आदि) छिलका सहित अथवा छिलका रहित अवस्था में	12%
52.	0804	ताजे खजूर	12%
53.	0804 / 0813	छुहारा, अंजीर, अन्ननास, नाशपाती, आम आदि (सूखी अवस्था में)	12%
54.	चैप्टर 20	सिरका अथवा एसिटिक अम्ल से निर्मित / प्रिजर्व्ड फल एवं सब्जियाँ	12%
55.	चैप्टर 20	प्रिजर्व्ड मशरूम	12%
56.	2007	जैम, फ्रूट जेली, फ्रूट प्योरी / पेस्ट,	12%
57.	2009	फल एवं सब्जियों का जूस, जिसमें सिप्ट नहीं मिलायी गयी है।	12%
58.	2106	सोयाबड़ी, दालों से बनी बड़ी, मंगौड़ी	12%
59.	2106	नमकीन भुजिया, मिक्सचर, चबैना आदि	12%
60.	2202	दूध मिश्रित पेय, सोयामिल्क मिश्रित पेय, फ्रूट पल्प / फ्रूट जूस मिश्रित पेय, यूनिट कन्टेनर में पैक नारियल पानी जिस पर रजिस्टर्ड ब्राण्ड का नाम अंकित है।	12%
61.	चैप्टर 17	शुगर क्यूब, शुगर कॉन्फेक्शनरी (बूरा एवं बताशा से भिन्न)	18%
62.	1902	पास्ता, मैक्रोनी, नुडल्स	18%
63.	1904	कॉर्न फ्लेक्स एवं अन्य अनाज के फ्लेक्स से प्राप्त खाद्य पदार्थ	18%
64.	1905	बेफर्स एवं बेफल्स (जो चॉकलेट मिश्रित नहीं हैं), पेस्ट्रीज एवं केक, बिरिकट्स,	18%

65.	2103	करी पेस्ट, मिक्स मसाले	18%
66.	2105	आइसक्रीम	18%
67.	2201	मिनरल वॉटर	18%
68.	1704	च्यूगम	28%
69.	1806	चॉकलेट	28%
70.	1905	चॉकलेट मिश्रित बेफल्स एवं बेफर्स	28%
71.	2106	कस्टर्ड पाउडर	28%
72.	2202	सॉफ्ट ड्रिक्स / कोल्ड ड्रिक्स	28%+12% संस

दैनिक प्रयोग की अन्य वस्तुएं



क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	4401 / 4402	जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला	NIL
2.	9603	फूल झाड़ू	NIL
3.	चैप्टर 27	बायोगैस	5%
4.	2710	पीडीएस के तहत केरोसिन ऑयल	5%
5.	2711	घरेलू उपयोग हेतु एल०पी०जी०	5%
6.	3605	हैण्डमैड माचिस	5%
7.	4401	लकड़ी का बुरादा	5%
8.	8413	हैण्डपम्प एवं पार्ट्स	5%
9.	9603	सीक झाड़ू	5%
10.	3306	दूध पाउडर	12%
11.	3406	मोमबत्ती	12%
12.	3926, 4014	दूध की बोतल (3926), दूध की बोतल के निपपल्स (4014)	12%
13.	6601	छाता	12%

14.	6602	बॉकिंग स्टिक, शीट स्टिक	12%
15.	7020	लालटेन, लेम्प आदि की चिमनी	12%
16.	7319	सिलाई की सुई	12%
17.	7323	आयरन एवं स्टील के टेबिल वेयर, किचन वेयर, हाउसहोल्ड आर्टिकिल्स एवं बर्तन	12%
18.	7418	कॉपर/ब्रास के टेबिल वेयर, किचन वेयर एवं बर्तन	12%
19.	7615	एल्युमिनियम के टेबिल वेयर, किचन वेयर एवं बर्तन	12%
20.	8215	चम्मच एवं कटलरी	12%
21.	8452	सिलाई मशीन	12%
22.	9615	कंचा	12%
23.	3306	दूध पेस्ट	18%
24.	3605	माचिस (हेण्डमेड माचिस से भिन्न)	18%
25.	3923	प्लास्टिक कन्टेनर्स/पैकिंग के सामान	18%
26.	3924	प्लास्टिक के टेबिल वेयर, किचन वेयर, हाउसहोल्ड आर्टिकिल्स, टॉयलेट आर्टिकिल्स	18%
27.	4419	लकड़ी के टेबिल वेयर एवं किचन वेयर	18%
28.	4818	झड़पर्स	18%
29.	4818	टॉयलेट पेपर, क्लीनिंग टिशू, पेपर नैपकिन्स,	18%
30.	6912	सिरेमिक के टेबिल वेयर, किचन वेयर, टॉयलेट वेयर एवं अन्य हाउसहोल्ड आर्टिकिल्स	18%
31.	7013	ग्लास के टेबिल वेयर, किचन वेयर, टॉयलेट वेयर, ऑफिस वेयर एवं अन्य सजावटी वस्तुएं	18%
32.	7310	आयरन एण्ड स्टील के कन्टेनर्स, ड्रम्स, कैन, बॉक्स, टैंक	18%
33.	7311	एल0पी0जी0 सिलेण्डर	18%
34.	7321	एल0पी0जी0 स्टोव	18%
35.	7607	एल्युमिनियम फवायल	18%
36.	8421	वाटर प्रूरीफायर	18%
37.	8423	वेडिंग मशीन (इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिकल वेडिंग मशीन से भिन्न)	18%
38.	9603	दूधब्रश, शेविंग ब्रश, हेयर ब्रश, नेल ब्रश	18%
39.	3405	शू पॉलिश, शू क्रीम	28%
40.	4202	ट्रंक, सूटकेस, बैग, ब्रीफकेस, चप्पों के केस, कैमरा कैमरा केस, टॉयलेट बैग, पर्स, स्पोर्ट्स बैग, हेण्डबैग्स	28%

		(जो कौटन, जूट अथवा प्लास्टिक से निर्मित नहीं है)	
41.	4421	लकड़ी के सजावटी सामान (decorative article)	28%
42.	8423	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिकल वेडिंग मशीन	28%
43.	9006	फोटोग्राफिक कैमरे, फ्लैश लाइट	28%
44.	9613	गैस लाइट	28%
45.	9617	वैक्यूम फ्लास्क	28%

पूजा सामग्री



क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	Any Chapter	पूजा सामग्री अर्थात् :- i. रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कटीमाला पंचगव्य (गाय का गोबर, देशी घी, दूध और दही का मिश्रण) ii. पवित्र धागा (जिसे सामान्यतः यज्ञोपवीत कहा जाता है) iii. लकड़ी की खड़ाऊँ iv. पंचामृत v. धार्मिक संस्थाओं द्वारा विक्रीत भमूत vi. अनब्राडेड शहद vii. दीये के लिए बाती viii. रोली ix. कलावा (खासूत्र) x. चन्दन टीका	NIL
2.	2106	धार्मिक स्थलों यथा मंदिर, मस्जिद, चर्च गुरुद्वारा, दरगाह आदि में वितरित किया जाने वाला प्रसाद	NIL
3.	3304	कुमकुम, सिन्दूर, बिन्दी, काजल	NIL
4.	चैप्टर 6	ताजे फूल	NIL

5.	चैप्टर 10	जौ, आटा, अक्षत (चावल)	NIL
6.	3307	अगरबत्ती	5%
7.	3307	धूपबत्ती, लोबान, हवन सामग्री	12%
8.	0405	देशी घी	12%
9.	7418	पूजा थाल, आरतीदान	12%
10.	8306	बेस मेटल से निर्मित घण्टियां, घण्टे, छोटी मूर्तियां एवं अन्य अलंकरण	18%
11.	6802	माबल से बनी मूर्तियां	28%
12.	6913	चीनी मिट्टी से बनी मूर्तियां	28%
13.	7419	ब्रास एवं कॉपर की मूर्तियां	28%

कपड़ा/परिधान/फुटवियर



क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	चैप्टर 52	गांधी टोपी और खादी यार्न	NIL
2.	5303	जूट फाइबरस (Raw or processed but not spun)	NIL
3.	5305	कोकोनट, क्वायर फाइबर	NIL
4.	चैप्टर 63	भारत का राष्ट्रध्वज	NIL
5.	5004 to 5006	सिल्क यार्न	5%
6.	5106 to 5110	ऊन या जानवर के बालों से निर्मित यार्न	5%
7.	5201	कॉटन एवं कॉटन वेस्ट	5%
8.	5204	कॉटन थ्रेड (सिलाई का धागा)	5%
9.	5205	कॉटन यार्न (खादी यार्न से भिन्न)	5%
10.	चैप्टर 53	अन्य सभी वनस्पतियों से निर्मित फाइबरस एवं यार्न	5%

11.	चैप्टर 53	सभी वनस्पतियों के फाइबरस/यार्न से निर्मित फैब्रिक	5% (अधिक जमा आईटीसी के रिफण्ड की सुविधा नहीं है)
12.	चैप्टर 61 एवं 62	किसी भी फैब्रिक से निर्मित बच्चों तथा वयस्कों (स्त्री अथवा पुरुष) के सिले सिलाये परिधान जिसमें साल, मफलर, ट्रैक सूट, कोट, ओवरकोट, रेनकोट, जैकेट, ग्लव्स, रुमाल आदि शामिल हैं, यदि इनका विक्रय मूल्य ₹0 1000 से अधिक नहीं है।	5%
13.	चैप्टर 63	किसी भी फैब्रिक से निर्मित कम्बल, बेड कवर, बेडशीट, नेपकीन, टेबिल क्लॉथ, टेबिल कवर, पर्दे, तौलिया, मच्छरदानी, कुशन कवर एवं अन्य मेड-अप्स यदि इनका विक्रय मूल्य ₹0 1000 से अधिक नहीं है।	5%
14.	चैप्टर 64	सभी प्रकार के फुटवियर यदि इनका MRP ₹0 500 से अधिक नहीं है तथा MRP फुटवियर पर स्पष्ट रूप से अंकित (embossed) है।	5%
15.	चैप्टर 56	टेक्सटाइल मेटेरियल से निर्मित डोरी, रस्सी, रस्सा, केबिल, पट्टा आदि	12%
16.	चैप्टर 57	कार्पेट एवं पलोर कवरिंग (जिसमें वूल, कॉटन अथवा अन्य टेक्सटाइल मेटेरियल से निर्मित प्रत्येक प्रकार के कालीन, कार्पेट, दरी, चटाईयाँ, पायदान, डोरमेट, मैटिंग, आदि शामिल हैं)	12%
17.	चैप्टर 58	टेक्सटाइल मेटेरियल से बने बैच, लेविल्स, नेट फैब्रिक (जिसमें क्रोशिया से निर्मित फैब्रिक नहीं है) रोयेदार तौलिया, तगाई किये हुए गददेदार टेक्सटाइल उत्पाद (quilted), टेक्सटाइल की झालरें (जो क्रोशिया से निर्मित नहीं हैं तथा जिन पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है)	12%
18.	चैप्टर 59	किताबों की बाइन्डिंग में प्रयोग होने वाला गोंद (gum) कोटेड फैब्रिक, रबराइज्ड फैब्रिक, लैमिनेटेड फैब्रिक, टेक्सटाइल वाल कवरिंग, कन्वयर बेल्ट, पेन्टेड कैनवस, स्टोच लैम्प, मोमबत्ती आदि हेतु बुने हुए गैस मेन्टल्स	12%
19.	चैप्टर 61 एवं 62	किसी भी फैब्रिक से निर्मित बच्चों तथा वयस्कों (स्त्री अथवा पुरुष) के सिले सिलाये परिधान	

19.	चैप्टर 61 एवं 62	किसी भी फ़ैब्रिक से निर्मित बच्चों तथा वयस्क (स्त्री अथवा पुरुष) के सिले सिलाये परिधान जिसमें साल, मफलर, ट्रैक सूट, कोट, ओवरकोट, रेनकोट, जैकेट, ग्लव्स, रूमाल आदि शामिल हैं, यदि इनका विक्रय मूल्य ₹ 1000 से अधिक है।	12%
20.	चैप्टर 63	किसी भी फ़ैब्रिक से निर्मित कम्बल, बेड कवर, बेडशीट, नेपकीन, टेबिल क्लॉथ, टेबिल कवर, पर्दे, तोलिया, मच्छरदानी, कुशन कवर एवं अन्य मेड-अप्स यदि इनका विक्रय मूल्य ₹ 1000 से अधिक है।	12%
21.	चैप्टर 54	सिंथेटिक फिलामेन्ट यान, कृत्रिम फिलामेन्ट यान (नायलान, पालिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन आदि)	18%
22.	5401	मानव निर्मित फिलामेन्ट से तैयार सिलाई का धागा (सिंथेटिक / कृत्रिम फिलामेन्ट से निर्मित)	18%
23.	5501 से 5507	सिंथेटिक अथवा कृत्रिम फिलामेन्ट, सिंथेटिक अथवा कृत्रिम स्टेपल फाइबर्स	18%
24.	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स से तैयार सिंथेटिक / कृत्रिम सिलाई का धागा	18%
25.	चैप्टर 64	सभी प्रकार के फुटवियर यदि इनका MRP ₹ 500 से अधिक है अथवा MRP फुटवियर पर स्पष्ट रूप से अंकित / embossed नहीं है।	18%
26.	9606	बटन	18%
27.	4203	लेदर अथवा कम्पोजीशन लेदर से निर्मित परिधान की वस्तुएं एवं एसेसरीज	28%
28.	चैप्टर 91	हाथ की घड़ी (wrist watches)	28%
29.	5810	एम्ब्रॉयडरी (कशीदाकारी) पीस, पट्टी अथवा मोटिफस में, जिसमें जरी की वस्तुओं जैसे इमी, जरी, कसाब, साइमा, डाबका, चुमकी, गोटा सितारा, नकशी, कोरा, ग्लासबीड्स, बदला, ग्लेजल का प्रयोग हुआ हो	5%
30.	5810	एम्ब्रॉयडरी (कशीदाकारी) पीस, पट्टी अथवा मोटिफस में, जिसमें जरी की वस्तुओं जैसे इमी, जरी, कसाब, साइमा, डाबका, चुमकी, गोटा सितारा, नकशी, कोरा, ग्लासबीड्स, बदला, ग्लेजल का प्रयोग नहीं हुआ हो	12%

नोट:—HSN कोड 5810 से सम्बन्धित एम्ब्रॉयडरी का अर्थ टेक्सटाइल के उस टुकड़े से है, जिस पर एम्ब्रॉयडरी की गयी है। एम्ब्रॉयडरी किया हुआ टुकड़ा फ़ैब्रिक अथवा सिले सिलाये परिधान पर चिपकाये अथवा सिले जाने की दशा में फ़ैब्रिक, जिसमें साड़ी भी शामिल है, टेक्सटाइल मेड-अप्स अथवा सिले सिलाये परिधान की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण फ़ैब्रिक, टेक्सटाइल मेड-अप्स अथवा सिले सिलाये परिधान के HSN कोड एवं कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

फ़ैब्रिक

31.	5007	सिल्क फ़ैब्रिक	5%
32.	चैप्टर 51	वूलेन फ़ैब्रिक	5% (अधिक जमा आईटीसी के रिफण्ड की सुविधा नहीं है)
33.	5208, 5209, 5210, 5211, 5212	कॉटन फ़ैब्रिक	5% (अधिक जमा आईटीसी के रिफण्ड की सुविधा नहीं है)
34.	चैप्टर 54	मानव निर्मित टेक्सटाइल मैटेरियल से निर्मित फ़ैब्रिक	5% (अधिक जमा आईटीसी के रिफण्ड की सुविधा नहीं है)
35.	5512 से 5516	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स से तैयार फ़ैब्रिक	5% (अधिक जमा आईटीसी के रिफण्ड की सुविधा नहीं है)
36.	चैप्टर 60	सभी प्रकार के बुने हुए अथवा क्रोशिया से निर्मित फ़ैब्रिक	5% (अधिक जमा आईटीसी के रिफण्ड की सुविधा नहीं है)

नोट:— साड़ी, धोती, फ़ैब्रिक में ही शामिल है, किसी भी किरम के मैटेरियल से तैयार की गयी साड़ी अथवा धोती फ़ैब्रिक में समाहित होने के कारण इस पर कर की दर 5 प्रतिशत ही है, इस प्रकार बनारसी, विक्कन आदि साड़ियाँ 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य हैं।

जी.एस.टी.

**कर का भुगतान करें,
प्रदेश एवं देश का निर्माण करें**

भवन निर्माण



क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	चैप्टर 25	मिट्टी, रेत, रोड़ी, गिट्टी	5%
2.	6901, 6904	ईट	5%
3.	6815	फ्लाइ एश ब्रिक्स एवं ब्लॉक्स	12%
4.	3917	प्लास्टिक के पाइप एवं फिटिंग्स	18%
5.	3925	प्लास्टिक के दरवाजे, खिड़की एवं फ्रेम	18%
6.	4403	लकड़ी (wood)	18%
7.	4407	चिरी हुयी लकड़ी (wood sawn are chipped)	18%
8.	7213 से 7217	आयरन एण्ड स्टील (बार, रॉड, एंगिल, शेप एण्ड सेक्शन)	18%
9.	7303 से 7307	आयरन स्टील एवं कास्ट आयरन के पाइप एवं फिटिंग्स	18%
10.	7308	आयरन स्टील के स्ट्रक्चर फ्रेम, दरवाजे, खिड़की	18%
11.	7317 / 7318	स्क्रू, कील, नटबोल्ट, हुक आदि	18%
12.	7608 / 7609	एल्युमिनियम ट्यूब्स, पाइप एवं फिटिंग	18%
13.	8301	पैड लाक्स एवं लाक्स	18%
14.	9406	प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स	18%
15.	चैप्टर 25	मार्बल, ग्रेनाइट	28%
16.	2523	सीमेन्ट	28%
17.	चैप्टर 32	पुट्टी, पेन्ट, वार्निश	28%
18.	4412	प्लाईवुड	28%
19.	4418	लकड़ी के दरवाजे, खिड़की एवं फ्रेम	28%
20.	6808	सीमेन्ट, प्लास्टर एवं अन्य मिनरल बाइन्डर्स से निर्मित पैनल्स, बोर्ड्स, टाइल्स, ब्लॉक्स, शीट्स	28%

21.	6810	सीमेन्ट, कंक्रीट अथवा कृत्रिम पत्थर से निर्मित टाइल्स, ब्रिक्स, प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स	28%
22.	6901	सिरेमिक टाइल्स	28%
23.	6910	सिरेमिक सिंक, वॉशबेसिन, वॉशबेसिन पेडेस्टल, यूरिनल्स एवं अन्य सैनेटरी फिक्चर्स	28%
24.	चैप्टर 70	ग्लास	28%
25.	7324	आयरन स्टील के सैनेटरी वेयर्स	28%
26.	7418	कॉपर एवं ब्रास के सैनेटरी वेयर्स	28%
27.	7610	एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़कियाँ एवं फ्रेम	28%
28.	7615	सैनेटरी फिटिंग्स	28%
29.	8302	बेस मेटल से निर्मित फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे की फिटिंग्स	28%
30.	8536, 8537	इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स	28%

सौन्दर्य प्रसाधन



क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	3304	कुमकुम, बिन्दी, सिन्दूर, आलता, काजल (काजल पेंसिल रिटक से भिन्न)	NIL
2.	3926, 7018	प्लास्टिक (3926) एवं काँच (7018) की चूड़ियाँ	NIL
3.	चैप्टर 71	सोने, चाँदी एवं अन्य धातुओं से बनी चूड़ियाँ एवं आभूषण	3%
4.	7117	इमीटेशन / आर्टिफिशियल ज्वैलरी	3%

5.	9615	हेयर पिन	12%
6.	3304	काजल पेन्सिल स्टिक	18%
7.	3305 90	हेयर ऑयल	18%
8.	3401	साबून	18%
9.	4202	हैण्डबैग, शॉपिंग बैग, वैनैटी बैग (कॉटन, जूट अथवा प्लास्टिक से निर्मित)	18%
10.	3303	परफ्यूम, कलोन, गुलाब जल, केवड़ा जल	28%
11.	3304	त्वचा से सम्बन्धित सौन्दर्य प्रसाधन जिसमें सनस्क्रीम, मेनीक्योर तथा पेडीक्योर से सम्बन्धित प्रसाधन भी शामिल हैं।	28%
12.	3304	नेलपॉलिश, लिपस्टिक, फेस पाउडर, फेस क्रीम, टैल्कम पाउडर, मॉश्चराइजर	28%
13.	3305	शैम्पू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, हेयर लैकर, हेयर फिक्सर (प्राकृतिक, हर्बल अथवा सिंथेटिक)	28%
14.	3307	शेविंग क्रीम/जेल, आपटरशेव, डिओडरन्ट	28%
15.	3401	लिविचड सोप	28%
16.	4016	रबर हेयर बैंड	28%
17.	7009	दर्पण	28%
18.	8212	रेजर एवं रेजर ब्लेड्स	28%
19.	9004	गॉगल्स	28%

छपते-छपते

जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक दिनांक 09.09.2017 में इस पुरस्तिका में शामिल निम्न वस्तुओं पर कर की दरों में परिवर्तन का निर्णय लिया गया है, जो सी. जी. एस. टी. एवं एस. जी. एस. टी. अधिनियम के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा –

क्र०सं०	HSN	वस्तु का नाम	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1.	0802	अखरोट, अखरोट गिरी	12%	5%
2.	2106	रोस्टेड चना	12%	5%
3.	2106	कस्टर्ड पाउडर	28%	18%
4.	3307	धूपबत्ती, हवन सामग्री	12%	5%
5.	4016	रबर हेयर बैंड	28%	12%
6.	चैप्टर 44, 68 83	लकड़ी, पत्थर, मार्बल एवं धातुओं से बनी मूर्तियाँ	28%	12%
7.	6912	मिट्टी से बनी मूर्तियाँ	28%	NIL
8.	9404	कॉटन की रजाईयाँ (₹ 1000 तक) कॉटन की रजाईयाँ (₹ 1000 से अधिक)	18%	5% 12%

खेल / खिलौने / फिटनेस से सम्बन्धित वस्तुएं



क्र०सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	4016	गुब्बारे	5%
2.	4823	पतंग	5%
3.	4203	स्पोर्ट्स के लिए प्रयोग होने वाले ग्लव्स	12%
4.	9503	खिलौने जैसे- ट्राई साइकिल्स, स्कूटर, पैडल्स कार आदि (इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से भिन्न)	12%
5.	9504	चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, लूडो आदि बोर्ड आधारित खेल से सम्बन्धित सामान, प्लेइंग कार्ड्स	12%
6.	9506	स्पोर्ट्स गजुस (शारीरिक व्यायाम के उपकरण को छोड़कर)	12%
7.	9507	फिशिंग रॉड, फिशिंग हुक, फिशिंग नेट, तितली जाली एवं ऐसे ही अन्य आखेट एवं निशानेबाजी के सामान	12%
8.	9503	इलेक्ट्रॉनिक खिलौने	18%
9.	9506	स्विमिंग पूल एवं पैडिंग पूल	18%
10.	9504	वीडियो गेम्स, कंसोल एवं मशीनें	28%
11.	9506	शारीरिक व्यायाम, जिम्नारिस्टिक एवं एथलेटिक्स से सम्बन्धित उपकरण	28%
12.	9508	झूले, चक्कर, शूटिंग गैलरी	28%

फर्नीचर



क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	9403	बॉस (bamboo) के फर्नीचर	18%
2.	9404	क्वायर मैट्रेस, कॉटन पिलो (तकिया), रजाइयाँ	18%
3.	3405	बुडेन फर्नीचर, फ्लोर, बुडवर्क के लिए पॉलिश	28%
4.	9403	स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक के फर्नीचर	28%
5.	9404	रबर, प्लास्टिक, सिंग्र से तैयार गद्दे, रजाइयाँ, कुशन, तकिया	28%

इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स



क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	8419	सोलर वाटर हीटर एवं सिस्टम	5%
2.	8517	मोबाइल फोन	12%
3.	8539	एलईडी लैम्प	12%
4.	9405	एलईडी लाइट्स, फिक्सचर्स	12%
5.	8443	प्रिंटर, (जो प्रिंटिंग से सम्बन्धित दो या दो से अधिक फंक्शन्स नहीं कर सकता)	18%
6.	8471	कम्प्यूटर, लैपटॉप	18%

7.	8501	इलेक्ट्रिक मोटर्स एण्ड जनरेटर्स (जिसमें जनरेटिंग सेट शामिल नहीं हैं)	18%
8.	8504	यू०पी०एस०	18%
9.	8518	लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन	18%
10.	8521	वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस	18%
11.	8523	सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड	18%
12.	8523	सीडी, डीवीडी, स्मार्ट कार्ड, ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ग्रामोफोन रिकॉर्ड	18%
13.	8525	सीसीटीवी	18%
14.	8528	कम्प्यूटर मॉनीटर (17 इंच से अधिक नहीं), सेट टॉप बॉक्स	18%
15.	8534	प्रिंटेड सर्किट	18%
16.	8535	इलेक्ट्रिकल स्विच, फ्यूज, प्लग, जंक्शन बॉक्स	18%
17.	चैप्टर 84	इलेक्ट्रिकल फोन (8414), एयर कंडिशनर (8415), रेफ्रिजरेटर (8418), स्टोरेज वाटर हीटर (8419), वाशिंग मशीन (8450),	28%
18.	8418	वाटर कूलर	28%
19.	8443	प्रिंटर (जो प्रिंटिंग, कॉपींग से सम्बन्धित दो या दो से अधिक फंक्शन्स कर सकता है), फोटोकॉपी मशीन	28%
20.	8508	वैक्यूम क्लीनर	28%
21.	8509	फूड ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर	28%
22.	8510	इलेक्ट्रॉनिक शेवर	28%
23.	8519	टेलीफोन आन्सरिंग मशीन	28%
24.	8528	टेलीविजन, कम्प्यूटर मॉनीटर्स (17 इंच से अधिक), प्रोजेक्टर	28%
25.	8539	ट्यूबलाइट, बल्ब	28%
26.	8544	इन्सुलेटेड वायर एवं केबिल	28%

जी.एस.टी.
देश की आर्थिक उन्नति का पथ

चिकित्सा / दवाइयाँ



क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	3002	मानव रक्त	NIL
2.	3006, 4014	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक	NIL
3.	चैप्टर 30	इन्सुलिन	5%
4.	चैप्टर 30	हेपेटाइटिस डाइग्नोस्टिक किट	5%
5.	चैप्टर 30	औषधि द्रव्य (medicaments) (जिसमें पशु चिकित्सा के औषधि द्रव्य भी शामिल हैं) और जिनका प्रयोग बायोकेमिक सिस्टम में किया जाता है तथा जिन पर किसी ब्राण्ड का नाम अंकित नहीं है।	5%
6.	चैप्टर 30	O.R.S	5%
7.	चैप्टर 30	यू०पी० एस०जी०एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति सं०-836 दिनांक 30, जून 2017 की अनुसूची-1 के साथ संलग्न सूची-1 एवं सूची-2 में अंकित दवाईयाँ, उनके साल्ट एवं डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स	5%
8.	3002, 3006	मानव अथवा जन्तु रक्त वैक्सीन	5%
9.	3004	आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक, बायोकेमिक दवायें	12%
10.	3005	बैण्डेज, ड्रेसिंग, प्लास्टर (मेडिकल, डेन्टल, सर्जिकल एवं वेटनरी प्रयोग हेतु)	12%
11.	3701	मेडिकल प्रयोग हेतु एक्स-रे फिल्म एवं प्लेट	12%
12.	3822	सभी प्रकार की डायग्नोस्टिक किट्स	12%

13.	4015	सर्जिकल रबर ग्लब्स	12%
14.	चैप्टर 90	ग्लोमीमीटर और टेस्ट रिट्रिप्स	12%
15.	चैप्टर 90	कॉन्टैक्ट लेन्स, नजर के चश्मों के लेन्स, नजर के चश्मों	12%
16.	9018	मेडिकल, सर्जिकल, डेन्टल, वेटनरी साइन्स में प्रयोग किये जाने वाले यन्त्र एवं उपकरण	12%
17.	9021	सर्जिकल बेल्ड्स, कृत्रिम अंग, आर्थोपैडिक उपकरण	12%
18.	8419	मेडिकल, सर्जिकल एवं लेबोरेटरी स्टरलाइजर्स	18%
19.	9003	चश्मों के फ्रेम	18%
20.	9025	थर्मामीटर	18%
21.	9402	मेडिकल, सर्जिकल, डेन्टल, वेटनरी फर्नीचर (ऑपरेशन टेबल, हॉस्पिटल बेड, चेयर आदि)	18%

स्टेशनरी



क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	4901	प्रिंटेड बुक्स, ब्रेल बुक्स	NIL
2.	4902	न्यूजपेपर, जर्नल्स	NIL
3.	4903	बच्चों की ड्राइंग बुक, पिक्चर बुक और कलरिंग बुक	NIL
4.	4905	मैप, एट्लस, ग्लोब	NIL
5.	चैप्टर 96	स्लेट्स, स्लेट पेन्सिल्स, चॉक रिट्क्स	NIL
6.	4016	इरेजर	5%
7.	Any Chapter	दिव्यांगों के प्रयोग में आने वाले ब्रेल राइटर, लेखन यन्त्र, ब्रेल फ्रेम, स्लेट, मैथमेटिकल / जमेट्रिकल उपकरण, ब्रेल पेपर, ब्रेल घड़ियाँ, ऑडियो मीटर आदि (एस०जी०एस०टी० अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति सं०-836 की अनुसूची-1 के क्रमांक-257 के साथ संलग्न सूची)	5%

8.	4801	न्यूज़प्रिंट	5%
9.	4901	ब्रोशर लीफलेट	5%
10.	3215	फाउण्डेन पेन इंक, बॉल पेन इंक, प्रिंटिंग इंक	12%
11.	4802	राइटिंग, प्रिंटिंग, ग्राफिक पेपर	12%
12.	4820	एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोट बुक, नोट बुक	12%
13.	4909	ग्रीटिंग कार्ड, शादी कार्ड	12%
14.	4910	कैलेण्डर्स	12%
15.	7310	जमेट्री बॉक्स, मैथमेटिकल बॉक्स, कलर बॉक्स	12%
16.	8214	पेन्सिल शार्पेनर, पेपर कटर, ब्लेड्स	12%
17.	9017	ड्राइंग और मार्किंग इंस्ट्रूमेंट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेटर्स	12%
18.	9608	फाउण्डेन पेन से भिन्न पेन	12%
19.	9608, 9609	पेन्सिल, क्रयॉयंस, पेस्टल कलर्स	12%
20.	4202	स्कूल बस्ता एवं बैग (जो लेदर अथवा लेदर कम्पोजीशन से निर्मित नहीं हैं)	18%
21.	4820	रजिस्टर, एकाउण्ट बुक्स, लेटर पैड्स, डायरी, फोल्डर्स, फाइल कवर	18%
22.	4821	प्रिंटेड लेबल, पेपर टैग्स	18%
23.	9608, 9610	फाउण्डेन पेन, राइटिंग बोर्ड	18%
24.	8305	पेपर क्लिप्स	28%

कृषि एवं पशुपालन



क्र० सं०	HSN	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	चैप्टर 01	घोड़े को छोड़कर सभी प्रकार के जीवित मवेशी, कुक्कुट	NIL

2.	Any Chapter	सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ, दालें, तिलहन, गन्ना के बीज	NIL
3.	Any Chapter	कृषक द्वारा उत्पादित समस्त कृषि उत्पाद, बागवानी के उत्पाद, दूध, अण्डा, शहद	NIL
4.	3101	ऑर्गेनिक मेन्योर जो यूनिट कन्टेनर में नहीं हैं तथा जिस पर किसी ब्राण्ड का नाम अंकित नहीं है।	NIL
5.	8201	हस्तचालित अथवा पशुचालित एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स (जिनका प्रयोग एग्रीकल्चर, हॉर्टीकल्चर अथवा फॉरेस्ट्री में होता है)	NIL
6.	2520	जिप्सम	5%
7.	3101	ऑर्गेनिक मेन्योर जो यूनिट कन्टेनर में हैं तथा जिस पर किसी ब्राण्ड का नाम अंकित है।	5%
8.	3102	नाइट्रोजन युक्त मिनरल अथवा केमिकल फर्टिलाइजर	5%
9.	3103	फॉस्फेट युक्त मिनरल अथवा केमिकल फर्टिलाइजर	5%
10.	3104	पोटाश युक्त मिनरल अथवा केमिकल फर्टिलाइजर	5%
11.	3105	केमिकल फर्टिलाइजर अथवा मिनरल जिसमें पोटाश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस में से दो या तीन अवयव शामिल हैं।	5%
12.	चैप्टर 84/85	बायोगैस प्लांट	5%
13.	8408	15 हॉर्स पावर तक के डीजल इंजन	12%
14.	8434	मिल्किंग मशीन एवं डेयरी मशीन	12%
15.	8432/8435	कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग मशीन	12%
16.	8701	ट्रैक्टर (1800 cc क्षमता तक)	12%

जी.एस.टी.

81 फीसदी वस्तुओं पर
कर की दर 18 फीसदी से कम

दैनिक उपभोग की प्रमुख सेवायें



खान-पान से सम्बन्धित सेवायें (रेस्टोरेंट)

क्र० सं०	सर्विस कोड (SAC)	वस्तु का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	9963	ऐसे रेस्टोरेंट, ईटिंग प्वाइंट, मेस, कैफ़्टीन आदि में परोसा गया भोजन/खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ, जिनके किसी भी हिस्से में एयर कंडीशनिंग की सुविधा न हो तथा जिनके पास शराब परोसने का लाइसेन्स/परमिट न हो।	12%
2.	9903	ऐसे परिसर में परोसा गया भोजन/खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ, जहाँ परिसर को किराये पर भी दिया जाता है (जिसमें होटल, क्वेन्थान सेन्टर, क्लब, पण्डाल, शामियाना आदि शामिल हैं) (ऐसे परिसर में शराब परोसी जाती हो अथवा नहीं)।	18%
3.	9903	आउटडोर कैटरिंग के रूप में परोसा गया भोजन/खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ (वाहे ऐसी आउटडोर कैटरिंग के समय शराब परोसी जाय अथवा नहीं)	18%
4.	9963	ऐसे रेस्टोरेंट, ईटिंग प्वाइंट, मेस, कैफ़्टीन आदि में परोसा गया भोजन/खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ, जिसके किसी भी हिस्से में एयर कंडीशनिंग की सुविधा हो अथवा जिनके पास शराब परोसने का लाइसेन्स/परमिट हो।	18%

नोट:-

- रेस्टोरेंट व्यवसायियों के लिए समाधान योजना का विकल्प भी उपलब्ध है, रू० 75 लाख तक की टर्नओवर के रेस्टोरेंट इस योजना का लाभ ले सकते हैं, रेस्टोरेंट के लिए समाधान की दर कुल टर्नओवर का 5 प्रतिशत है, किन्तु समाधान योजना अपनाने वाले रेस्टोरेंट को ग्राहकों से जी०एस०टी० के मद में कोई धनराशि वसूलने का अधिकार नहीं है।
- किसी रेस्टोरेंट से तैयार भोजन का पार्सल लेने पर जी०एस०टी० की दर वही होगी, जो उस रेस्टोरेंट में परोसे गये भोजन पर होगी।
- शराब, जी०एस०टी० की परिधि में नहीं है, अतः किसी रेस्टोरेंट में परोसी गयी शराब पर जी०एस०टी० की देयता नहीं है, रेस्टोरेंट में परोसी गयी शराब पर उत्तर प्रदेश राज्य के आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित दर लागू होगी।
- किसी भी श्रेणी के रेस्टोरेंट में परोसे गये भोजन/खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ पर 28 प्रतिशत की जी०एस०टी० देयता नहीं है।



होटल से सम्बन्धित सेवायें

क्र० सं०	सर्विस कोड (SAC)	सेवा का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	9963	a. ऐसे होटल, गेस्ट हाउस, क्लब आदि जहाँ एक कमरे का घोषित किराया रू० 1000 /- प्रतिदिन से कम है।	NIL
		b. ऐसे होटल, गेस्ट हाउस, क्लब आदि जहाँ एक कमरे का घोषित किराया रू० 1000 /- से रू० 2500/- प्रतिदिन के बीच है।	12%
		c. ऐसे होटल, गेस्ट हाउस, क्लब आदि जहाँ एक कमरे का घोषित किराया रू० 2500 /- से रू० 7500/- प्रतिदिन के बीच है।	18%
		d. पाँच सितारा होटल, ऐसे होटल, गेस्ट हाउस, क्लब आदि जहाँ एक कमरे का घोषित किराया रू० 7500/- प्रतिदिन से अधिक है।	28%

सौन्दर्य / फिटनेस से सम्बन्धित सेवायें



क्र० सं०	सर्विस कोड (SAC)	सेवा का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	9997	सौन्दर्य एवं फिजिकल वेल बीईंग सेवायें (हेयर, ड्रेसिंग, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, मेनीक्योर, पेडीक्योर, हेल्थ क्लब फिटनेस सेन्टर आदि)	18%

शिक्षा से सम्बन्धित सेवायें



क्र० सं०	सर्विस कोड (SAC)	सेवा का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	चैप्टर 99	पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवायें	NIL
2.	चैप्टर 99	(a) किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने विद्यार्थियों, फकल्टी और स्टाफ को उपलब्ध करायी गयी सेवाएं (b) हायर सेकण्टरी तक के शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्राप्त की जा रही निम्न सेवाएं— (i) अपने विद्यार्थियों, फकल्टी और स्टाफ के परिवहन से संबंधित सेवायें (ii) कैंटरिंग/मिड-डे मील से संबंधित सेवायें (iii) सुरक्षा सफाई से संबंधित सेवाएं (iv) प्रवेश एवं परीक्षा से संबंधित सेवायें	NIL NIL
3.	चैप्टर 99	आई.आई.एम. द्वारा अपने विद्यार्थियों को दी जा रही कतिपय सेवायें	NIL
4.	चैप्टर 99	शैक्षणिक सेवायें, जो उक्त में शामिल नहीं हैं।	18%

कृषि एवं पशुपालन से सम्बन्धित सेवायें



क्र० सं०	सर्विस कोड (SAC)	सेवा का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	चैप्टर 99	पौधों के कल्टीवेशन, अरव पालन के अतिरिक्त अन्य सभी पशुओं के पालन से सम्बन्धित सेवायें	NIL
2.	चैप्टर 99	समस्त कृषि उत्पाद एवं चावल, दूध के ट्रांसपोर्टेशन एवं कृषि उत्पादों/चावल की लॉडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग तथा स्टोरेज से सम्बन्धित सेवायें	NIL
3.	चैप्टर 99	वेटनरी क्लिनिक द्वारा दी जा रही पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा से सम्बन्धित सेवायें	NIL

चिकित्सा से सम्बन्धित सेवायें



क्र० सं०	सर्विस कोड (SAC)	सेवा का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	9993	(a) क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट अथवा ऑथराइज्ड मेडिकल प्रेवेंशनर्स अथवा पैरामेडिक्स द्वारा उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा सेवायें (b) एम्बुलेंस के द्वारा मरीजों के परिवहन से सम्बन्धित सेवायें	NIL

स्वच्छता से सम्बन्धित सेवायें



क्र० सं०	सर्विस कोड (SAC)	सेवा का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	चैप्टर 99	संविधान के अनुच्छेद- 243G तथा 243W द्वारा निर्धारित दायित्वों के निर्वहन के क्रम में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निकाय अथवा पंचायतों द्वारा आम जनता को उपलब्ध करायी जा रही सेवायें।	NIL
2.	चैप्टर 99	संविधान के अनुच्छेद 243G तथा 243W द्वारा निर्धारित दायित्वों के निर्वहन के क्रम में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त की जा रही विशुद्ध सेवाएं, जिसमें किसी माल की सफाई शामिल नहीं है।	NIL
3.	9994	क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट के बायोलॉजिकल वेस्ट के निस्तारण से सम्बन्धित सेवायें	NIL
4.	9994	जनता की सुविधा हेतु संचालित बाथरूम, युरिनल अथवा टॉयलेट से सम्बन्धित सेवायें	NIL

मनोरंजन सेवाएं



क्र० सं०	सर्विस कोड (SAC)	सेवा का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	चैप्टर 99	सिनेमा, जहाँ टिकट रु.100 या रु.100 से कम है	18%
2.	चैप्टर 99	केबिल, डी.टी.एच.	18%
3.	चैप्टर 99	सिनेमा, जहाँ टिकट रु.100 से अधिक है	28%
4.	चैप्टर 99	अन्य आमोद यथा वाटर पार्क, थीम पार्क, झूले, राईड्स, रेस कोर्स, खेल आयोजन	28%

यातायात से सम्बन्धित सेवायें



क्र० सं०	सर्विस कोड (SAC)	सेवा का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	चैप्टर 99	मेट्रो रेल, मोनो रेल, ट्रामवे, मीटर टैक्सी, आटो रिक्शा में सफर, रेलवे की नॉन ए. सी/जनरल/सेकण्ड क्लास स्लीपर बोगी में सफर अथवा नॉन ए.सी. बस में सफर	NIL
2.	9964	रेलवे के फर्स्ट क्लास, रेलवे के ए.सी. क्लास, ए.सी. बस, रेडियो टैक्सी अथवा हवाई जहाज के इकोनॉमी क्लास में सफर	5%
3.	9964	हवाई जहाज के इकोनॉमी क्लास से मिन्न क्लास में सफर	12%

विविध सेवायें



क्र० सं०	सर्विस कोड (SAC)	सेवा का नाम	जी०एस०टी० की दर
1.	चैप्टर 99	धार्मिक रीति रिवाजों से संबंधित सेवायें	NIL
2.	चैप्टर 99	रिहायशी भवनों में आवास हेतु किराया	NIL
3.	चैप्टर 99	रोड अथवा ब्रिज का टोल चार्ज	NIL
4.	चैप्टर 99	विद्युत पारेषण एवं वितरण संस्था द्वारा दी जा रही बिजली के पारेषण एवं वितरण से संबंधित सेवायें	NIL
5.	चैप्टर 99	टेलीफोन, इण्टरनेट	18%
6.	चैप्टर 99	पोस्टल एवं कूरियर सेवायें	18%
7.	चैप्टर 99	ए.सी. बैंकिंग सेवाएं, जिनके लिए बैंक द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज/शुल्क लिया जाता है।	18%

वस्तुओं/सेवाओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित चैप्टर

जी0एस0टी0 रिजीम में वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए कस्टम टैरिफ के अन्तर्गत चयनित HSN को आधार बनाया गया है। कस्टम टैरिफ में विभिन्न वस्तुओं को चैप्टर क्रमांक-1 से 98 तक वर्गीकृत किया गया है। किसी वस्तु के HSN कोड की जानकारी हेतु चैप्टर्स में वस्तुओं के वर्गीकरण की जानकारी उपयोगी होगी। इसी प्रकार सेवाओं के वर्गीकरण हेतु SAC को आधार बनाया गया है, सभी प्रकार की सेवायें चैप्टर क्रमांक 99 में शामिल हैं। HSN और SAC के प्रथम दो अंक उस चैप्टर को इंगित करते हैं, जिसमें सम्बन्धित वस्तु अथवा सेवा शामिल है। अतः सुविधा की दृष्टि से विभिन्न चैप्टर्स में शामिल प्रमुख वस्तुओं/सेवाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में अंकित किया जा रहा है।

क्र०सं०	चैप्टर क्रमांक	चैप्टर में शामिल प्रमुख वस्तुएं
1.	01	जीवित मवेशी
2.	02	मांस एवं मांस के खाने योग्य अवशेष
3.	03	मछली, सीप, घोघा, झींगा एवं जलीय जीव
4.	04	डेयरी प्रोडक्ट्स, पक्षियों के अण्डे, शहद एवं जानवरों से प्राप्त अन्य खाने योग्य उत्पाद, जो किसी अन्य चैप्टर में शामिल नहीं हैं।
5.	05	जन्तुओं से प्राप्त ऐसे उत्पाद जो किसी अन्य चैप्टर में शामिल नहीं हैं।
6.	06	जीवित वृक्ष, पौधे, जड़, फूल
7.	07	खाने योग्य सब्जियाँ, जड़ और कन्द, दालें
8.	08	खाने योग्य फल एवं नट्स, खट्टे फलों की छाल, खरबूज
9.	09	काँची, चाय, मसाले
10.	10	अनाज
11.	11	अनाज की मिलिंग से प्राप्त उत्पाद-आटा, माल्ट, स्टार्च, इन्जुलिन
12.	12	तिलहन, चिकने फल, अन्य दाने, बीज, औद्योगिक और औषधीय पौधे, चारा
13.	13	गोंद, रेजिन और अन्य वनस्पतियों के अन्य रस एवं सार तत्व
14.	14	वनस्पति उत्पाद जो किसी अन्य चैप्टर में शामिल नहीं हैं
15.	15	जन्तु या वनस्पति वसा, तेल, तैयार खाने योग्य वसा, जन्तु या वनस्पति से उत्पादित मोम
16.	16	मछली एवं अन्य जलचरों के मांस से तैयार उत्पाद
17.	17	शुगर एवं शुगर कार्म्बेशनरी
18.	18	कोको (चॉकलेट पाउडर) एवं उससे तैयार सामग्री
19.	19	अनाज, आटा, स्टार्च, दूध से तैयार उत्पाद, पेस्ट्री उत्पाद
20.	20	वनस्पतियों, फल, अखरोट या पौधों के अन्य भाग से तैयार सामग्री
21.	21	विभिन्न प्रकार की खाने योग्य अन्य सामग्री
22.	22	पेय, स्प्रिट और सिरका
23.	23	खाद्य उद्योग से प्राप्त अवशेष एवं अपशिष्ट, पशुचारा (आहार)
24.	24	तम्बाकू एवं निर्मित तम्बाकू विकल्प
25.	25	नमक, सल्फर, मिट्टी एवं पत्थर, प्लास्टर सामग्री, चूना और सीमेंट

26.	26	अयस्क, धातुमल एवं राख
27.	27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन से तैयार उत्पाद, बिटुमिनस, खनिज मोम
28.	28	अकार्बनिक केमिकल, कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक मिश्रण एवं रेडियोएक्टिव या समस्थानिक
29.	29	कार्बनिक केमिकल
30.	30	औषधीय उत्पाद
31.	31	उर्वरक
32.	32	चर्म शोधन या रंगाई के एक्सट्रैक्ट्स, रंगाई एवं अन्य रंगाई के द्रव्य, पृष्टी, गोंद, स्पाही
33.	33	इसेन्सियल ऑयल्स सुगन्धित द्रव्य (परफ्यूम), प्रशाधन या टॉयलेट के सामान
34.	34	साबुन, कृत्रिम मोम, मोमबत्ती, तेल आधारित सामग्री, दांत हेतु मोम और प्लास्टर निर्मित दांत से सम्बन्धित वस्तुएं
35.	35	एल्युमिनायड के पदार्थ, परिवर्तित स्टार्च, एम्बाइम
36.	36	विस्कोटक, आतिशबाजी के सामान, माचिस
37.	37	फोटोग्राफी या चलचित्रण के सामान
38.	38	विभिन्न केमिकल प्रोडक्ट्स
39.	39	प्लास्टिक और उसके सामान
40.	40	रबर और उसके सामान
41.	41	कच्ची खाल और चमड़े
42.	42	चमड़े के सामान, अन्य साजो सामान
43.	43	कृत्रिम रोम और उनके उत्पाद
44.	44	लकड़ी एवं लकड़ी का सामान, लकड़ी का कोयला
45.	45	कार्क एवं कार्क का सामान
46.	46	स्ट्रॉ आदि से निर्मित सामान
47.	47	लकड़ी के पल्प एवं रेसेदार सामग्री से तैयार उत्पाद
48.	48	पेपर और पेपर बोर्ड, पेपर पल्प से तैयार सामान
49.	49	मूद्रित पुस्तकें, अखबार, चित्र और अन्य उत्पाद
50.	50	सिल्क
51.	51	ऊन, जानवरों के बालों से निर्मित ऊन
52.	52	कॉटन
53.	53	वनस्पति से तैयार फाइबर्स, पेपर यार्न और यार्न से तैयार फेब्रिक्स
54.	54	मानव निर्मित फिलामेंट
55.	55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स
56.	56	बिना बुने हुये कपड़े, विशेष धागे, सुतली, रस्सी, केबल और उनसे बनी वस्तुएं
57.	57	कालीन एवं पलोर कवरिंग
58.	58	स्पेशल बूने फेब्रिक्स, फीते, सजावटी कढ़ाई के कपड़े
59.	59	लौह, कवच या टुकड़ों से तैयार कपड़ा, औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त कपड़े
60.	60	बुने हुये कपड़े

61.	61	परिधान की वस्तुएं एवं कपड़े के सामान (जो बुनी हुयी हों)
62.	62	परिधान की वस्तुएं एवं कपड़े के सामान (जो बुनी हुयी ना हों)
63.	63	कपड़े से निर्मित अन्य वस्तुएं, रदी कपड़े से निर्मित वस्तुएं
64.	64	फुटवियर
65.	65	हैडगीयर और उसके पार्ट
66.	66	छत्तरियों, घूष छत्तरियों, घूमने वाली छडी, चाबुक और उनके पार्ट
67.	67	पंख एवं रोम से बनी हुयी कृत्रिम वस्तुएं, कृत्रिम फूल, मानव के बाल से निर्मित वस्तुएं
68.	68	पत्थर से बनी वस्तुएं, प्लास्टर, सीमेंट, या इसी तरह के पदार्थ
69.	69	सिरेमिक उत्पाद
70.	70	कांच एवं कांच से बने बर्तन एवं सामान
71.	71	प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, कीमती धातुएं और उससे बनी वस्तुएं, कृत्रिम ज्वेलरी, सिक्के
72.	72	लोहा और स्टील
73.	73	लोहे और स्टील से बनी वस्तुएं
74.	74	काँचर और उससे बनी वस्तुएं
75.	75	निकिल और उससे बनी वस्तुएं
76.	76	एलुमिनियम और उससे बनी वस्तुएं
77.	77	यह चैप्टर भविष्य के लिए सुरक्षित है;
78.	78	लेड (Lead) और उससे बनी वस्तुएं
79.	79	ज़िंक और उससे बनी वस्तुएं
80.	80	टिन और उससे बनी वस्तुएं
81.	81	बेस मेटल से निर्मित अन्य उत्पाद
82.	82	बेस मेटल के आंजार, टूलस, चाकू, छूरी, चम्मच एवं फोर्क आदि
83.	83	बेस मेटल की विविध वस्तुएं
84.	84	परमाणु रिएक्टर, बायलर, मशीनरी एवं यांत्रिक अनुप्रयोग और इनके पार्ट्स
85.	85	विद्युत मशीनरी और उपकरण एवं उनके पार्ट्स, साउंड रिकॉर्डर, टेलीविजन, चित्र एवं ध्वनि रिकॉर्डर
86.	86	रेलवे या ट्रामवे के इंजन, रेलवे या ट्रामवे ट्रैक
87.	87	रेलवे या ट्रामवे के अतिरिक्त अन्य गाड़ियों और उनके पार्ट्स
88.	88	विमान, अंतरिक्ष यान और उनके पार्ट्स
89.	89	जहाज, नाव और तैराकी बनावट
90.	90	ऑप्टिकल फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, चलचित्र कला, मेडिकल एवं सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट, उनके पार्ट्स और सामान
91.	91	दीवार घडी, कलाई घडी और उनके पार्ट्स
92.	92	संगीत के उपकरण, उनके पार्ट्स और सामान
93.	93	हथियार और गोला-बारूद, उनके पार्ट्स एवं सामान
94.	94	फर्नीचर, बिस्तर, लाइट फिटिंग्स, प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स
95.	95	खेल, खिलाणे, उनके पार्ट्स एवं सामान
96.	96	विभिन्न प्रकार की निर्मित वस्तुएं

97.	97	कलाकृतियां, प्राचीन वस्तुएं
98.	98	परियोजनाओं के सम्बन्ध में देश के बाहर से आयात, प्रयोगशाला केमिकल, वायुयान अथवा पोस्ट से निजी सामान का आयात

सेवाएं

99.	99	सभी प्रकार की सेवाएं
-----	----	----------------------

जी.एस.टी. व्यवस्था में डेढ़ करोड़ तक की टर्नओवर के व्यापारियों को अपने इनवाइस और रिटर्न में HSN अंकित नहीं करना है, डेढ़ करोड़ से 5 करोड़ तक की टर्नओवर के व्यापारियों को अपने इनवाइस और रिटर्न में दो अंक में HSN कोड अंकित करना है तथा 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर के व्यापारियों को अपने इनवाइस और रिटर्न में 4 अंक में कोड अंकित करना है, इस दृष्टि से 5 करोड़ तक की टर्नओवर के व्यापारियों के लिए चैप्टर्स की जानकारी अत्यन्त उपयोगी है।

—: अनुरोध —:

यद्यपि इस पुस्तिका में वस्तुओं एवं सेवाओं के HSN और कर की दरों के संकलन के समय पर्याप्त सावधानी रखी गयी है, तथापि पाठकों से अनुरोध है कि कोई त्रुटि प्रकाश में आने पर जी.एस.टी. अनुभाग, वाणिज्यकर मुख्यालय, लखनऊ के संज्ञान में अवश्य लाएं।



वाणिज्य कर विभाग, उ०प्र०

